प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –959/2022
अनवान : –

1. सुमेर सिंह पुत्र सन्तुसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मोहनसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. मनोहर सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. उतमसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. विनोद कंवर पत्नी स्व0 सन्तुसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. कमलेश कंवर पुत्री स्व0 सन्तुसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. मुनेश कंवर पुत्री स्व0 सन्तुसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
7. रूकमणी कंवर पुत्री स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
8. निर कंवर पुत्री स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
9. विजेन्द्र सिंह पुत्र वेद कंवर पुत्री स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 959 सन 2022 निर्णय दिनांक 25.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 149/139 की कुल 21.0060 हैक्ट भूमि भैरूसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ दलेसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भैरूसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ दलेसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण स0 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 3/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:25 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –959/2022

अनवान : –

1. सुमेर सिंह पुत्र सन्तुसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मोहनसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. मनोहर सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. उतमसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. विनोद कंवर पत्नी स्व0 सन्तुसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. कमलेश कंवर पुत्री स्व0 सन्तुसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
6. मुनेश कंवर पुत्री स्व0 सन्तुसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
7. रूकमणी कंवर पुत्री स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
8. निर कंवर पुत्री स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
9. विजेन्द्र सिंह पुत्र वेद कंवर पुत्री स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 25.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 149/139 की कुल 21.0060 हैक्ट भूमि के वादी के दादा भैरूसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ दले सिह खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा भैरूसिंह पुत्र दलुसिंह उर्फ दलेसिंह फौत हो चुके है तथा उनका एक पुत्र सन्तुसिंह व एक पुत्री वेदकंवर फौत हो चकी है एवं सन्तुसिंह के वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण स0 4 ता 6 है एंव पुत्री वेदकंवर के वारिसान प्रतिवादीगण स0 9 है तथा प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 एवं प्रतिवादीगण स0 7 व 8 पुत्र व पुत्रीयान है जो कि वादग्रस्त भूमि के विधिक उतराधिकारी है तथा वादग्रस्त अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी स0 5 व 6 जो कि वादी की बहिन है तथा प्रतिवादी स0 4 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है प्रतिवादी स0 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीया स0 7 ता 9 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 149/139 की कुल 21.0060 हैक्ट भूमि में वादीएवं प्रतिवादीगण स0 4 बहिब 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा मृतक भैरूसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ दलेसिंह नाम कलजन करवा पाने के अधिकारी है। इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 9 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा मुन्सरी जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 149/139 प्रदर्श–1, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र भैरूसिंह प्रदर्श–2, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र संतु सिंह प्रदर्श–3, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र उम्मेद कंवर प्रदर्श–4, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–5, असल प्रति सरपंच ग्राम पंचायत ननाऊ द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–6 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमी वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 9 का बहिब हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 9 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 149/139 की कुल 21.0060 हैक्ट भूमि भैरूसिंह पुत्र दलूसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, भैरूसिंह पुत्र दलूसिंह का देहांत हो चुका है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, सरपंच द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 9 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 9 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादीया स0 5 ता 9 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 9 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 149/139 की कुल 21.0060 हैक्ट भूमि भैरूसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ दलेसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भैरूसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ दलेसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण स0 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 3/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– ननाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:25 IST
Reason: SelfAttested